

प्रेस नोट-
थाना सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक- 19.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- महिला के हत्या कर साक्ष्य मिटाने के अभियोग में 03 अभियुक्तगण 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार, आलाकत्तल कुल्हाड़ी बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.01.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0050सं0- 24/2026 धारा 103(1),238(क),61(2)(क) BNS में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तण 1-रामसिंह परिहार पुत्र नारायण सिंह निर्दनपुरा सीपरी बाजार झाँसी वर्तमान पता सैयर गेट कोतवाली झाँसी उम्र करीब 63 वर्ष 2- नितिन परिहार पुत्र रामसिंह परिहार निर्दनपुरा सीपरी बाजार झाँसी वर्तमान पता सैयर गेट कोतवाली झाँसी उम्र करीब 19 वर्ष 3- गीता पत्नी रामसिंह परिहार निर्दनपुरा सीपरी बाजार झाँसी उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त रामसिंह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्तल कुल्हाड़ी को बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17/18.01.2026 की रात्रि में यूपी-112 पर एक पुरुष के पास संदिग्ध बक्सा होने व सामान होने की जानकारी प्राप्त हुई थी जिस पर पुलिस द्वारा जानकारी की गयी तो नितिन सिंह पुत्र राम सिंह निवासी अंदर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी द्वारा अपने हाल में ही खाली कर रहे किराये के मकान लहरगिर्द थाना सीपरी बाजार से एक संदिग्ध बड़े आकार का बक्सा कॉलर के लोडर में लेकर आया है जिसमें कोयला भरा हुआ है जिस पर पानी डाला है एवं उसमें कुछ संदिग्ध प्रकार के सफेद कलर के टुकड़े डाले हुए हैं उक्त व्यक्ति का पिता पुलिस की जानकारी मिलते ही मौके से भाग गया। मौके पर उच्चाधिकारी गण द्वारा निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। मौजूद व्यक्ति नितिन सिंह उपरोक्त द्वारा बक्शे में मृतिका प्रीती पत्नी राजकुमार रायकवार निवासी ग्राम डेली थाना रक्सा जिला झाँसी के अवशेष होने की बात बतायी गयी तथा यह भी बताया गया कि मृतिका की हत्या किराये के मकान ब्रह्म नगर थाना सीपरी बाजार में हुयी थी। इस सूचना पर मृतिका के पति राजकुमार रायकवार के सम्बन्ध में जानकारी कर उसे मौके पर बुलाया गया। जिसके द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार झाँसी पर पहुँचकर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राम सिंह पुत्र नारायण निवासी म0नं0 69 नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी द्वारा उसकी पत्नी श्रीमती प्रीती उम्र करीब 33 वर्ष की हत्या कर शव छिपा देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर दिनांक 18.01.2026 को मु0050सं0 24/2026 धारा 103(1)/ 238(क) बी0एन0एस0 बनाम राम सिंह परिहार उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचना से संकलित साक्ष्य के आधार पर नामजद अभियुक्त राम सिंह के अतिरिक्त नितिन परिहार पुत्र राम सिंह व उसकी पत्नी गीता निवासीगण अन्दर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी की उक्त घटना में आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने व साक्ष्य छिपाने के साक्ष्य पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) (क) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त नितिन परिहार पुत्र राम सिंह परिहार व अभियुक्ता गीता पत्नी राम सिंह परिहार निवासीगण अन्दर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी का नाम प्रकाश में आया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त रामसिंह ने बताया कि वह प्रीती के साथ ब्रह्मनगर में किराये के मकान में रह रहा था तथा व पिछले 10 वर्ष से प्रीती के साथ प्रेम संबंध में था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रीती किसी फौजी से भी बात करने लगी है, यह बात रामसिंह को खटकने लगी। प्रीती उससे पैसे मांगती रहती थी यह बात रामसिंह की दूसरी पत्नी व उसके पुत्र नितिन को अच्छी नहीं लगती थी। तंग आकर रामसिंह ने प्रीती के हत्या करने की सोची। उसने दिनांक 08.01.2026 को ब्रह्मनगर वाले मकान में ही कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी तथा पुत्र नितिन की सहायता से लकड़ी लाकर रात में शव को घर के अंदर ही जला दिया व पत्नी की सहायता से राख में पानी डाल कर बुझा दिया। राख व हड्डियों को बक्से में भरकर आपे में लोड कर अपने पुत्र नितिन के साथ छिपाने जा रहा था कि आपे चालक ने पुलिस को सूचना दे दी।

अभियुक्तगण का विवरण

1. राम सिंह परिहार पुत्र नारायण सिंह उम्र करीब 63 वर्ष निवासी म0नं0 69 नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी वर्तमान पता अन्दर सैयर गेट थाना कोतवाली जनपद झाँसी।
2. नितिन परिहार पुत्र राम सिंह परिहार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी अन्दर सैयर गेट थाना कोतवाली जनपद झाँसी
3. गीता पत्नी राम सिंह परिहार उम्र करीब 50 वर्ष निवासी उपरोक्त।

बरामदगी- आलाक्त्तल कुल्हाड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 विनोद कुमार मिश्र, थाना सीपरी बाजार झाँसी
2. अति0नि0 महेश चन्द्र, थाना सीपरी बाजार झाँसी
3. उ0नि0 श्री चन्दन सरोज थाना सीपरी बाजार झाँसी
4. उ0नि0 श्री राजकुमार, थाना सीपरी बाजार झाँसी
- 5-उ0नि0 श्री अनुराग शर्मा थाना सीपरी बाजार झाँसी
6. हे0का0 108 अवधेश कुमार, थाना सीपरी बाजार झाँसी
7. का0 1178 रामचरन, थाना सीपरी बाजार झाँसी
- 8- का0 490 नवीन कुमार थाना सीपरी बाजार झाँसी
9. का0 621 सूरज सिंह, थाना सीपरी बाजार झाँसी
10. म0का0 1642 संध्या सिंह, थाना सीपरी बाजार झाँसी
11. म0का0 1589 सीमा थाना सीपरी बाजार झाँसी